


बाधत

अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम मूल) राम वजैरा

किसम मुकदमा..... नं. 162 सन् 2020

राजस्व आवेदन

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.7.2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री पुजराज काभरिया ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काप्रस्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 27/7/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  20.7.2020 </p>	<p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (SDO) बाधत </p>
27/07/20	<p>प्रार्थी वकील उपलब्ध/विप्रार्थी-गणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिनमें शामिल पत्रावली विभा 333/334/335 वाकजुड तामिल कुजुपारिषत/विभा 333/334/335 के अधिकारी डिग्रे कामों में व्यस्त होने के मिकाल इलतवा होकर कागामी दिनांक 24⁰⁸/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;"> </p>	



24/08/2020

प्रार्थी व डील उपलब्ध। विपरीत का.

जुड़ लामिल अनुपलब्ध। नमामालय समय
 लेन बार कावाज लागई गई 5.45 pm पर
 किलिम कावाज लागई गई विपरीत का
 या उनही पौर से कोई अधिकता उपलब्ध
 नहीं हुआ लिहाजा विपरीत का के विरुद्ध
 एकतरफा कार्यवाही कमल से लाई जाती है।
 प्रार्थी के अधिकता ही एकपक्षिय बयान बुनी
 गई, प्रार्थी के अधिकता छार बतला ही प्रार्थी
 व विपरीत का के खालेसारी खेत लेब सेब काये
 हुए ही खालेसारी खेतों के बिच जो पुरानी माठे
 व ठगे काये हुए थे जो वर्तमान से काथियों से
 पजहु से बिचर गये थे जिन कारण प्रार्थी व
 विपरीत का के मध्य खेत के लेगे से लेकट इमेका
 तनाजा बना रहला है। इसलिए प्रार्थी का नेचम-
 वन्नी फावेन स्वीकार विभा जाउर नेचमवन्नी फावेन
 विभा जावे।

कल: प्रार्थी अधिकता के निवेदन पर
 प्रार्थी का नेचमवन्नी फावेन स्वीकार विभा जाउर
 लहलीलर गिडा के इमिशन व सम्बन्धित भूअधिकार
 लेख निरिखत के सहायत इमिशन निष्पन्न विभा
 जाउर फावेन विभा जाला है कि आय स्वयं या
 सहायत इमिशन से प्रार्थी के खालेसारी खेतों की
 पक्की नेचमवन्नी माठे पर इमिशन शुल्क जमा-
 कराउर इहे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित
 पत्रावली ही पत्रावली फौजल कुमार दौडर दर्ज
 नम्बर से कम ही दाखिल दफ्तर ही है।

(Signature)

सहायक कलक्टर (SBO)
 बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/आवेदन/2020/537

दिनांक:- 31/08/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मुलाराम पुत्र चौमाराम वगैरा 3
जाति मेघवाल, नि. केसुम्बला हरचंद
पटवार मण्डल केसुम्बला भाटियान
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)


1. मांगाराम पुत्र पताराम वगैरा 24
जाति मेघवाल, नि. केसुम्बला हरचंद
पटवार मण्डल केसुम्बला भाटियान
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 162/2020

आदेश

खसरा नं. 68 रकबा 297.02 बीघा, खसरा नम्बर 96/68 रकबा 00.10 बीघा, किस्म बारानी दोगम मौजा केसुम्बला हरचंद पटवार मण्डल केसुम्बला भाटियान भू अभिलेख निरीक्षक सवाउ मूलराज तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें। तथा अपेक्षित होने पर आपको थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिभूत किया जाता है।



कमांक/आवेदन/2020/538-542

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 31/08/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का केसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मुलाराम पुत्र चौमाराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री मांगाराम पुत्र पताराम वगैरा
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु